इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक- 06.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 02 शातिर लुटेरों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05-05 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रूपये (प्रत्येक को) अर्थदंड दिया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 02 शातिर लुटेरों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05-05 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रूपये (प्रत्येक को) अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.08.2016 को वादी देवेन्द्र तिवारी द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गयी कि मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी के गले से सोने की जंजीर छीन ली गयी। तहरीर के आधार पर **थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 588/2016 धारा 392 भादवि बढोत्तरी धारा 411 भादवि पंजीकृत किया गया था।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 सतीश चन्द्र द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण राजा उर्फ हासिम पुत्र शकील अहमद तथा अली खान पुत्र अनवार खान निवासीगण उजैदी पचराहा थाना कोतवाली जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 रामसिंह एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 06.11.2023 को अन्तर्गत धारा 392,411 भादवि में विशेष न्यायधीश/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 3 जनपद इटावा द्वारा 05-05 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रूपये (प्रत्येक को) का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राजा उर्फ हासिम पुत्र शकील अहमद निवासी उजैदी पचराहा थाना कोतवाली जनपद इटावा**
2. **अली खान पुत्र अनवार खान निवासी उजैदी पचराहा थाना कोतवाली जनपद इटावा**